डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना
(सीड)
संशोधित दिशानिर्देश
(दिनांक ११ फरवरी,२०२५ से प्रभावी)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों का विकास और कल्याण बोर्ड
नई दिल्ली

डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना
(सीड)

दिशानिर्देश
(दिनांक 11-02-2025 से संशोधित)

भारत सरकार

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों का विकास और कल्याण बोर्ड

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली

विषय-वस्तु

1. पृष्ठभूमि और परिचय...........

2. योजना के उद्देश्य...............

3. योजना के लक्षित समूह और कार्यान्वयन........

4. शैक्षणिक सशक्तिकरण..........

5. डीएनटी, एनटी और एसएनटी के लिए स्वास्थ्य बीमा......

6. आजीविका..........

7. डीएनटी के लिए आवास...........

8. सामान्य सिद्धांत.........

1. पृष्ठभूमि और प्रस्तावना :

1.1 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां समाज के सबसे अधिक उपेक्षित, वंचित और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं। इनमें से अधिकतर पीढियों से निराश्रित जीवन जी रहे हैं और अभी भी अनिश्चित तथा अंधकारमय भविष्य में जी रहे हैं। विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियां किसी न किसी तरह हमारे विकासात्मक ढांचे के ध्यान से बच गई हैं और इस प्रकार इन्हें उस तरह सहायता नहीं प्राप्त नहीं हो पाई है जिस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त हुई है।

1.2 ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों के पास कभी भी निजी भूमि अथवा घरों का स्वामित्व नहीं रहा है। ये जनजातियां अपने जीवनयापन और आवासीय उपयोग के लिए जंगलों और चरागाहों पर निर्भर रही हैं तथा इनके "मजबूत पारिस्थितकीय संबंध" थे। इनमें से अधिकतर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं और अपने अस्तित्व के लिए जटिल परिस्थितियां तराशते हैं। पारिस्थितकी और पर्यावरणीय बदलाव इनके जीवनयापन विकल्पों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

1.3 विमुक्त जनजातियों/समुदायों को गलत तरीके से अपराध उन्मुख के रूप में दर्शाया गया है और सामान्य समाज के साथ-साथ कानून तथा व्यवस्था के प्रतिनिधियों द्वारा इनका शोषण किया गया है। इनमें से कुछ को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है और अन्य को अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ा वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। इनके विकास के विशेष दृष्टिकोण को रेनके आयोग, 2008 और इदाते आयोग, 2018 जैसे विभिन्न सरकारी आयोगों में रेखांकित कर उस पर बल दिया गया है।

1.4 यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में डीएनटी को समय-समय पर या तो एससी, एसटी अथवा ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। तथापि ये डीएनटी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक स्कीमों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन डीएनटी को गरीबों के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक स्कीमों का लाभ देने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वर्तमान कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत इस आशय के अतिरिक्त प्रावधान किए जाएं कि चाहे वह एससी, एसटी अथवा ओबीसी किसी भी सूची में शामिल हो, फिर भी उन्हें एक अलग लक्ष्य समूह माना जाए।

1.5 विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों वाले ये समुदाय पूरे भारत में फैले हैं और इनमें से अधिकतर कम ही दिखाई देते हैं, विरले रूप में फैले होते हैं और अधिकतर पलायन कर रहे होते हैं। मानक ग्राम, ब्लॉक, जिला विकास मॉडल इन पर अधिकतर फिट नहीं बैठते हैं। डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय छोटे समूहों में सीमित क्षमता और कौशल के साथ पाए जाते हैं। अत: सरकार के वर्तमान कल्याणकारी कार्यक्रमों में इन समुदायों के लिए किसी भी विकासात्मक दृष्टिकोण के लिए विशेष प्रयास करने की अत्यंत आवश्यकता है।

1.6 डीएनटी समुदायों के कल्याण पर रिपोर्टों में विभिन्न सिफारिशों पर विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए राज्य विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक,सांस्कृतिक, विभिन्नता के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि विमुक्त जनजातियों के आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, नियोजन अवसरों को उत्पन्न करने, सामाजिक स्वतंत्रता और पूर्ण पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके।

1.7 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में डीएनटी समुदायों के सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है और वित्तीय वर्ष 2021-22 से आरंभ कर 5 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित चार घटकों के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा:-

i. शैक्षिक सशक्तिकरण (सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से)
ii. स्वास्थ्य (एनएचए की पीएमजेएवाई के माध्यम से)
iii. आजीविका (एनआरएलएम, एसआरएलएम, अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से)
iv. भूमि एवं आवास (पीएमएवाई-जी, पीएमएवाई-यू, अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से)

2. योजना के उद्देश्य :-

योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

i. डीएनटी अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने में उच्च गुणवत्तापरक कोचिंग प्रदान करना;
ii. डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना;
iii. डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों, संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर जीविका पहलों की सुविधा प्रदान करना तथा

iv. डीएनटी समुदायों के सदस्यों के घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3. **योजना के लक्षित समूह और कार्यान्वयन**

डीएनटी समुदाय जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 2.50 लाख रुपए अथवा इससे कम है और जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की समान योजना से ऐसे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(नोट: यह आय सीमा विभिन्न योजनाओं के लिए आय पात्रता के संबंध में केन्द्र सरकार की नीतियों के अनुसार नियमित परिवर्तन के अधीन होगी। यह आय सीमा भी आय सीमा संबंधी एक सामान्य नियम है, लेकिन आय सीमा में घटकवार परिवर्तन किया जा सकता है, ताकि उस घटक को विषय के संबंध में अन्य केंद्रीय सरकार की योजनाओं के साथ संरेखित किया जा सके)।

डीडब्ल्यूबीडीएनसी इसके कार्यान्वयन के लिए सभी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। योजना का कार्यान्वयन न केवल स्थापित सरकारी कार्यान्वयन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, बल्कि गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भी किया जाएगा, जिन्हें समय-समय पर प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद नियुक्त किया जाएगा।

विभिन्न स्तरों पर कार्यकलापों की निगरानी और समन्वय के लिए युवा प्रोफेशनलों, परामर्शदाताओं और वरिष्ठ परामर्शदाताओं जैसे संविदात्मक/आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता होगी। योजना के स्वीकार्य प्रशासनिक व्ययों से इस व्यय का वहन किया जाएगा, जो योजना के कुल वित्तीय परिव्यय का लगभग 1% होगा।

4. **शैक्षणिक सशक्तिकरण**

4.1 सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शिक्षा सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का एक शक्तिशाली उपकरण है और समान तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। यह आर्थिक कल्याण के लिए कौशल और क्षमताएं प्रदान करती है। 21वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रासंगिक ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल युक्त सुशिक्षित जनसंख्या आवश्यक है। तदनुसार, डीएनटी समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए डीएनटी छात्रों हेतु नि:शुल्क कोचिंग के घटक की परिकल्पना की गई है।

4.2 डीएनटी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग

4.2.1 उद्देश्य

इस घटक का उद्देश्य डीएनटी उम्मीदवारों के लिए उच्च गुणवत्ता परक कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परिक्षाओं में भाग ले सकें और पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सफल हो सकें।

4.2.2 कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम

जिन पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग दी जाएगी, उनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा आयोजित समूह क और ख परीक्षाएं;

ii) राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित समूह क और ख परीक्षाएं;

iii) बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा आयोजित अधिकारी ग्रेड परीक्षाएं;

iv) प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं - (क) इंजीनियरिंग (उदाहरण आईआईटी-जेईईई), (ख) मेडिकल (उदाहरण एनईईटी), (ग) प्रबंधन (उदाहरण सीएटी) और विधि (उदाहरण सीएलएटी) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम और (घ) ऐसे अन्य कोई भी विषय जिन पर मंत्रालय यथा समय निर्णय लेगा।

v) एसएटी, जीआरई, जीएमएटी और टीओईएफएल जैसी पात्रता परीक्षाएं।

vi) सीपीएल पाठ्यक्रमों/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और संयुक्त रक्षा सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं।

vii) कोई भी अन्य प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो स्वरोजगार या निजी/सरकारी नौकरी या उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करवा सकता है, उसके लिए फीस/वजीफा/भत्ता और अवधि की दरें पैरा-4.2.6 और नीचे दिए गए चार्ट में दी गई सीमाओं से अधिक नहीं होंगी।

4.2.3 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्लॉटों का वितरण

लक्षित जनसंख्या के छात्रों की मांग और प्रतिक्रिया, उपलब्ध बजट आदि के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए कोचिंग पाठ्यक्रमों की संख्या समय-समय पर डीडब्ल्यूबीडीएनसी में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तय की जाएगी।

4.2.4 छात्रों के लिए पात्रता मानदंड

i. डीएनटी समुदाय के केवल ऐसे छात्र जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए अथवा इससे कम है और जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की समान योजना से ऐसे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्व-रोजगार प्राप्त माता-पिता/अभिभावकों की आय घोषणा तहसीलदार के समतुल्य पद वाले राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में होनी चाहिए। नियोजित माता-पिता/अभिभावकों के लिए अपने नियोक्ताओं से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। नियोजित माता-पिता/अभिभावक किसी भी अन्य अतिरिक्त आय स्रोत के लिए राजस्व अधिकारी से समेकित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

ii. प्रतियोगी परीक्षा में यथा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों को कोचिंग के लिए प्रतियोगी परीक्षा की अर्हता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त होने चाहिए। तथापि, यदि छात्र ने उक्त अर्हता परीक्षा में अभी भाग नहीं लिया है अथवा छात्र ने भाग तो लिया है, परंतु परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तो अर्हता परीक्षा से ठीक पहले बोर्ड/डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों में विचार किया जाना चाहिए। यदि पात्र आवेदनों की संख्या दिए गए स्लॉटों से अधिक होती है, तो अर्हता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के घटते क्रम के अनुसार चयन किया जाएगा।

iii. जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्हता परीक्षा कक्षा 12 है, उसमें योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त हो पाएगा जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर ली है अथवा जो लाभ प्राप्त करने की तारीख को कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं। इसके अलावा, जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्हता परीक्षा स्नातक स्तर है, उसमें योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं छात्रों/उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त हो पाएगा जिन्होंने स्नातक स्तर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है अथवा जो योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के समय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं।

iv. ऐसी परीक्षाएं जो दो भागों, प्रारंभिक और मुख्य, में आयोजित की जाती हैं, उनमें चयन के लिए उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कम से कम एक बार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

v. योजना के अंतर्गत कोई भी छात्र दो से अधिक बार लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है चाहे वह इस विशेष प्रतियोगी परीक्षा में कितनी बार भी भाग लेने का पात्र क्यों न हो। छात्र को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने योजना के अंतर्गत दो से अधिक बार लाभ प्राप्त नहीं किया है।

vi. छात्र को केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की समान योजना के कोई अन्य छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने से रोका जा सकता है। उम्मीदवार को इस आशय का शपथ पत्र अपलोड करना होगा कि वह केन्द्र/राज्य की किसी अन्य समान योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है। योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की सूची सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ भी शेयर भी किया जाना चाहिए ताकि उम्मीदवार द्वारा समान योजना के लाभ एक साथ उठाने की संभावना को समाप्त किया जा सके।

vii. ऐसी परीक्षाएं जो दो चरणों यथा प्रारंभिक और मुख्य, में आयोजित की जाती हैं, वहां उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग हेतु पात्र होगा। वे अपने सुविधानुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं, प्रत्येक, के लिए दो बार तक नि:शुल्क कोचिंग हेतु पात्र होगा। तथापि, यदि उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चुना जाता है तो इसकी कोचिंग के अवसरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

4.2.5 कार्यान्वयन का तरीका

डीडब्ल्यूबीडीएनसी प्रत्येक वर्ष उतनी संख्या में छात्रों का चयन करेगा, जितना उपलब्ध बजट की अनुमति होगी तथा योजना में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों की मांग और प्रतिक्रिया के अनुसार होगा। प्रचार, छात्रों को एकत्रित करना, उनकी सूची बनाना तथा पैरा 4 में उल्लिखित अन्य संबंधित कार्य सहित समस्त प्रक्रिया के लिए डीडब्ल्यूबीडीएनसी सरकारी या गैर-सरकारी एजेंसियों की सहायता लेगी। इन छात्रों को अपनी पसंद के किसी भी संस्थान में कोचिंग पाठ्यक्रम करने की स्वतंत्रता होगी।

क) चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या:

जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोनों पाठ्यक्रमों के बीच कोई अंतर-विभाजन नहीं होगा। बदलती आवश्यकता, बदलते उपयोग, मांग और छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर डीडब्ल्यूबीडीएनसी में सक्षम अधिकारियों द्वारा इसे बदला/तय किया जा सकता है।

ख) आवेदन की प्रक्रिया:

i. इस योजना का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक रूप से विज्ञापन किया जाएगा, जिसमें योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। आवेदकों को योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता

और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सरकारी या गैर-सरकारी एजेंसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, साथ ही उस पाठ्यक्रम का विवरण भी देना होगा जिसमें वे शामिल होना चाहते हैं।

ii. आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

iii. ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदनों पर ही सहायता हेतु विचार किया जाएगा। सभी अपूर्ण आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, अस्वीकृत उम्मीदवारों के पास चयन के अगले चरणों में आवेदन करने का विकल्प होगा।

ग) उम्मीदवारों का चयन:

i. आवेदन पोर्टल के बंद हो जाने पर योजना के पैरा 4.2.3 में उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों स्तरों के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर स्वयं आईटी सिस्टम द्वारा अलग-अलग मेरिट सूची बनाई जाएगी।

ii. पात्रता सुनिश्चित करने के लिए मेरिट के आधार पर आवेदनों की जांच की जाएगी। ऐसे आवेदन जो अपूर्ण पाए जाएंगे अथवा यदि आवेदक अपात्र पाया जाएगा तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

iii. मेरिट का आधार योजना के पैरा 4.2.4 (ii) में दिए गए विवरण के अनुसार होगा।

iv. इस प्रकार तैयार मेरिट सूचियों को उम्मीदवारों के चयन की सिफारिश हेतु डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा स्थापित चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। मेरिट में आए उम्मीदवारों को उनके प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात योजना का लाभ दिया जाएगा। मेरिट सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

घ) छात्रों को सहायता जारी करना

i. पाठ्यक्रम शुल्क डीबीटी मोड के माध्यम से दो किश्तों में लाभार्थी उम्मीदवार के बैंक खाते में सीधा जारी किया जाएगा। तथापि, छात्रों को अपने आधार नम्बर से जुड़ा बैंक खाता प्रस्तुत करना होगा।

ii. उम्मीदवारों के चयन और प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात उम्मीदवारों को "मुक्त आश्वासन" पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित उम्मीदवार का

नाम, रैंक संख्या, योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शुल्क राशि का विवरण दिया गया होगा। कोचिंग में भाग लेने के लिए कोचिंग संस्थान से संपर्क करने के लिए उम्मीदवार द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। दाखिले की पुष्टि/संस्थान से आश्वासन प्राप्त होने पर उम्मीदवार इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके पश्चात पात्र राशि का 50 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

iii. पहली किश्त के जारी होने के 3 माह के भीतर ही उम्मीदवार को चयनित पाठ्यक्रम आरंभ करना होगा। उम्मीदवार द्वारा संस्थान ज्वाइन करने और पहली किश्त के रूप में जारी राशि संस्थान में जमा किए जाने के प्रमाण के पश्चात शेष शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

यदि शुल्क राशि की पहली किश्त तीन माह की अवधि के भीतर चयनित संस्थान को नहीं दी जाती है तो इस राशि को सरकार को वापस करना होगा और दूसरी किश्त के लिए वह पात्र नहीं होगा। उम्मीदवार को विनिर्दिष्ट प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह कोचिंग शुल्क की पहली किश्त प्राप्त करने के तीन माह के भीतर अपनी इच्छा के कोचिंग संस्थान में दाखिला लेगा, ऐसा न होने पर वह शीघ्र ही मंत्रालय को राशि वापस कर देगा।

iv. उम्मीदवार की सुविधा के लिए निधियों की पहली किश्त जारी करने के साथ इस आशय का पत्र भी जारी किया जाएगा कि उम्मीदवार द्वारा पाठ्यक्रम में भाग लेने के पश्चात शेष शुल्क का भी भुगतान कर दिया जाएगा।

4.2.6 सहायता की सीमा

i. **शुल्क :** जिस संस्थान में छात्र आवेदन कर रहा है उस संस्थान का वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क, जो संस्थान सामान्य छात्रों से लेता है अथवा योजना के **अनुबंध** के अनुसार मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम शुल्क, जो भी कम हो, **अनुबंध** में दिए गए पाठ्यक्रम के शुल्क और अवधि की सीमा के अनुसार होगा। यदि पाठ्यक्रम का शुल्क अनुमत्य राशि से अधिक होगा तो उम्मीदवार अपने स्वयं के स्रोतों से शेष निधियों का प्रबंध करेगा।

ii. **वजीफा :** कोचिंग कक्षा में भाग लेने के लिए स्थानीय छात्रों को 1500/- रुपए प्रति छात्र का मासिक वजीफा दिया जाएगा। इसी प्रकार बाहर रहने वाले छात्रों को 4000/- रुपए प्रति छात्र का भुगतान किया जाएगा। वजीफे

का भुगतान पाठ्यक्रम की अवधि तक अथवा एक वर्ष, जो भी कम हो, के लिए किया जाएगा। प्रत्येक छात्र के वजीफे का भुगतान डीबीटी के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सीधा ही किया जाएगा।

(नोट: फीस, वजीफा, विशेष भत्ता आदि में उल्लिखित ये सीमाएं, केंद्र सरकार के अन्य विभागों/मंत्रालयों में अपनाई जाने वाली प्रथाओं/दरों के अनुसार, समय-समय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सक्षम अधिकारियों द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी)

iii. **विशेष भत्ता** : वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत तक अथवा उससे अधिक दिव्यांगता) वाले दिव्यांग छात्र, रीडर भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता, सहायक भत्ता आदि के लिए प्रति माह 2000/- माह के विशेष भत्ते के भी पात्र होंगे। यह पैरा 4.2.6(ii) में उल्लिखित वजीफे के अतिरिक्त होगा।

4.2.7 योजना का कार्य निष्पादन और निगरानी:

i) मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) आवेदनों की जांच और प्रक्रिया के साथ-साथ उम्मीदवारों की प्रगति की निगरानी में भी सहायता करेगा।

ii) प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों की सफलता अथवा असफलता के बारे में उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने वाले चयनित उम्मीदवारों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी।

अनुबंध: [पैरा 4.2.6 में यथा उल्लिखित]

डीएनटी छात्रों के लिए उपयुक्त योजना के अंतर्गत अधिकतम शुल्क और न्यूनतम अवधि

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अधिकतम कुल पाठ्यक्रम शुल्क रुपए में	न्यूनतम* अवधि माह में
1.	यूपीएससी/एसपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा	1,20,000	9 माह (4 माह प्रारंभिक+ 5 माह मुख्य)
2.	एसएससी/आरआरबी, केंद्रीय /राज्य पुलिस	40,000	6 माह
3.	बैंकिंग/बीमा/पीएसयू/सीएलएटी	50,000	6 माह
4.	जेईई/एनईईटी	1,20,000	9 माह (12 माह से अधिक नहीं)
5.	आईईएस	80,000	-वही-
6.	सीएटी/सीएमएटी	60,000	-वही-
7.	जीआरई/जीएमएटी/एसएटी/टीओएफईएल	35,000	3 माह
8.	सीए-सीपीटी/जीएटीई	75,000	9 माह
9.	सीपीएल पाठ्यक्रम	30,000	6 माह
10.	एनडीए/सीडीएस/कमीशन रैंक के अधिकारी	50,000	3 माह

11.	सशस्त्र बलों के जेसीओ/ओआर	20,000	3 माह

****सभी उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिए 16 घंटे प्रति सप्ताह की न्यूनतम वास्तविक कोचिंग अनिवार्य होगी।***

5. डीएनटी, एनटी और एसएनटी के लिए स्वास्थ्य बीमा:

डीएनटी/एनटी समुदाय के सदस्यों के पास सुचारु स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत मेडिकल सुविधाओं और अन्य उपलब्ध लाभों तक कम अथवा कोई भी पहुंच न होने की संभावना होती है। वे इतने गरीब होते हैं कि वे प्राइवेट मेडिकल केयर का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अत: यह आवश्यक है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों के अंतर्गत डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल में सहायता हेतु सरकार द्वारा अलग लक्षित समूहों पर विचार किया जाए।

5.1 डीएनटी, एनटी और एसएनटी के लिए स्वास्थ्य की देखभाल के समर्थन का लक्ष्य:

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य एनएचए, एसएचए या स्वास्थ्य बीमा में लगी किसी भी एजेंसी के साथ निकट सहयोग में काम करना है, ताकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मानदंडों के अनुसार डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा सके।

डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों को अलग से विशेष रूप से स्वास्थ्य की देखभाल के समर्थन का उद्देश्य ऐसे डीएनटी/एनटी/एसएनटी परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और इस दिशानिर्देश में यथा स्पष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, को पीएमजेएवाई का लाभ प्रदान करना है।

5.2 आयुष्मान भारत स्कीम:

आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के विजन को अपनी प्रतिबद्धता के साथ प्राप्त करने के लिए आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य "किसी को भी पीछे न छोड़ना" है। आयुष्मान भारत देखभाल की निरंतर दृष्टिकोण को अपनाता है जिसमें दो परस्पर संबंधित घटक हैं-

i. स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र (एचडब्ल्यूसी): भारत सरकार ने अपने वर्तमान उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूपांतरण द्वारा 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना की घोषणा की है। ये केन्द्र स्वास्थ्य की देखभाल को लोगों के घरों के समीप लाते हुए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) का प्रचार करेंगे। स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों द्वारा समुदाय की पहुंच, सार्वभौमिकता और समानता का विस्तार करते हुए अपने क्षेत्र की पूर्ण जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विस्तृत सेवाओं का प्रचार करने की परिकल्पना की गई है।

ii. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई): "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" भारत की फ्लैगशिप सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है,

जिसका लक्ष्य भारतीय जनसंख्या के सबसे नीचे 40 प्रतिशत गरीब और संवेदनशील परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल देखभाल के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। शामिल परिवार क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) के अभावग्रस्त और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित है। पीएम-जेएवाई के अंतर्गत उल्लिखित कवरेज में ऐसे परिवार भी शामिल हैं, जो आरएसबीवाई में तो कवर थे परंतु, एसईसीसी 2011 डाटा बेस में उपलब्ध नहीं है।

5.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई को कार्यान्वित करने के लिए एक जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। राज्य स्तर पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए, संबंधित राज्यों द्वारा राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां (एसएचए) स्थापित की गई हैं। एसएचए लाभार्थियों को कवर कर रहा है। एनएचए के कार्यों में अन्य स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन स्कीमों के साथ पीएम-जेएवाई के अभिसरण के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाओं को स्थापित करना शामिल है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है :

i. पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना।
ii. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य बीमा विनियमों को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्य करना।
iii. देश भर में पीएम-जेएवाई को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना और उसकी नियमित रूप से निगरानी करना।
iv. लाभार्थियों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए जागरूकता कार्यकलाप आयोजित करना।

5.4 पीएम-जेएवाई की मुख्य विशेषताएं :

5.4.1 पीएम-जेएवाई की मुख्य विशेषताएं :

प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर पूर्ण रूप से नि:शुल्क प्रदान करके और उसके प्रीमियम का भुगतान केन्द्र राज्य सरकारों दोनों द्वारा करके, प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को कैशलेस द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या का लाभ दिया जाता है। एबी-पीएमजेएवाई पात्रता पर आधारित एक योजना है जिसका लाभ सबसे गरीब और कमजोर 40% आबादी को दिया जाता है। परिवारों का समावेशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति

जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) के क्रमश: वंचित और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित होता है। शामिल किए गए ग्रामीण परिवारों (जिन्हें बाहर नहीं रखा गया है) को सात वंचित मानदंडों (डी1 से डी7) की उनकी स्थिति के आधार पर रैंक पर रखा जाता है। शहरी परिवारों को व्यावसायिक श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

5.4.2 ग्रामीण लाभार्थी

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल सात वंचित मानदंडों में से, पीएम-जेएवाई के अंतर्गत उन परिवारों को शामिल किया जाता है जो निम्नलिखित छह वंचित मानदंडों (डी1 से डी5 और डी7) और स्वत: समावेशन (निर्धन/भिक्षा पर निर्भर व्यक्ति, मैनुअल स्केवेंजरों के परिवार और प्राचीन जनजातीय समूह, कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ श्रमिक) मानदंडों में से कम से कम एक मानदंड के अंतर्गत आते हैं।

- डी1- कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाला केवल एक कमरा है
- डी2- 16 से 59 आयु वर्ग के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है
- डी3- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 आयु वर्ग के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है
- डी4- दिव्यांग सदस्य और शारीरिक रूप से स्वस्थ कोई वयस्क सदस्य नहीं
- डी5- एससी/एसटी परिवार
- डी7- भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य भाग मैनुअल अनियत श्रम से प्राप्त होता है

5.4.3 शहरी लाभार्थी :

शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित 11 व्यावसायिक श्रेणियों के कामगार इस योजना के लिए पात्र हैं :-

- कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति, भिखारी, स्ट्रीट वेंडर्स/मोची/फेरी लगाने वाले व्यक्ति/गलियों में अन्य सेवा प्रदाता
- निर्माण कार्य में नियोजित व्यक्ति/प्लंबर/मिस्त्री/मजदूर/पेंटर/वेल्डर/सिक्युरिटी गार्ड/कुली और सिर पर समान ढोने वाले अन्य व्यक्ति
- स्वीपर/सफाई कर्मचारी/माली
- घर पर काम करने वाले व्यक्ति/कारीगर/शिल्पकार/दर्जी
- ट्रांसपोर्ट वर्कर/ड्राइवर/कंडक्टर/ड्राइवरों और कंडक्टरों के हेल्पर/ढेला चलाने वाले व्यक्ति/रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति
- दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति/सहायक/छोटे प्रतिष्ठानों में चपरासी/हेल्पर/डिलीवरी असिस्टेंट/अटेंडेंट/वेटर

- इलेक्ट्रिशियन/मकैनिक/एसेम्बलर/रिपेयर वर्कर
- धोबी/चौकीदार

5.4.4 हालाकि पीएम-जेएवाई के अंतर्गत परिवारों की पात्रता के आधार के रूप में एसईसीसी का उपयोग किया जाता है, कई राज्य पहले से ही अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं जिनके लिए उन्होंने लाभार्थियों की पहचान की है। अत:, राज्यों को पीएम-जेएवाई के लिए अपना स्वयं का डाटाबेस उपयोग में लाने की छूट प्रदान की गई है। अत:, पीएम-जेएवाई के अंतर्गत राज्यों को अपना कार्यान्वयन मॉडल चुनने की छूट प्राप्त है।

5.5 कार्यान्वयन एजेंसी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ अभिसरण के माध्यम से पात्रता और डीएनटी, एनटी और एसएनटी लाभार्थियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य एजेंसी प्राधिकरण:

5.5.1 डीएनटी, एनटी, एसएनटी जैसी लाभ वंचित जनसंख्या जिन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, कुछ कारकों की वजह से जिनमें पात्रता संबंधी नियम, लाभार्थी की वैधता संबंधी प्रगति शामिल है, इस योजना का कम उपयोग कर रही है।

5.5.2 डीडब्ल्यूबीडीएनसी आयुष्मान कार्ड बनाने में सुविधा प्रदान करके डीएनटी समुदायों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिए एनएचए को सहायता प्रदान करेगी, जिसमें आउटरीच, प्रचार, लामबंदी, दस्तावेज तैयार करना आदि शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए डीडब्ल्यूबीडीएनसी सरकारी या गैर-सरकारी एजेंसी को शामिल कर सकती है।

5.5.3 मंत्रालय का विचार एनएचए/एसएचए के माध्यम से डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों को निम्नानुसार शामिल करने का है :

क. ग्रामीण क्षेत्रों में डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय : इस योजना में लाभार्थियों को एसएचए एसोरेंस मॉडल के अंतर्गत डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के परिवारों को पंजीकृत किया जाएगा जिसमें राज्य डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के ग्रामीण परिवारों के लिए निम्नलिखित मानदंडों में से कोई एक वंचित मानदंड का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे :

- डी1- कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाला केवल एक कमरा है
- डी2- 16 से 59 आयु वर्ग के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है
- डी3- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 आयु वर्ग के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है
- डी4- दिव्यांग सदस्य और शारीरिक रूप से कोई स्वस्थ वयस्क सदस्य नहीं है

- डी7- भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य भाग मैनुअल नियत श्रम से प्राप्त होता है

ख. शहरी क्षेत्रों में डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय : इस योजना में लाभार्थियों को एसएचए एसोरेंस मॉडल के अंतर्गत डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के परिवारों को पंजीकृत किया जाएगा जिसमें राज्य डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के शहरी परिवारों के लिए निम्नलिखित मानदंडों में से कोई एक वंचित मानदंड का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

- कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति, भिखारी, स्ट्रीट वेंडर्स/मोची/फेरी लगाने वाले व्यक्ति/गलियों में अन्य सेवा प्रदाता
- निर्माण कार्य में नियोजित व्यक्ति/प्लंबर/मिस्त्री/मजदूर/पेंटर/वेल्डर/सिक्युरिटी गार्ड/कुली और सिर पर समान ढोने वाले अन्य व्यक्ति
- स्वीपर/सफाई कर्मचारी/माली
- घर पर काम करने वाले व्यक्ति/कारीगर/शिल्पकार/दर्जी
- ट्रांसपोर्ट वर्कर/ड्राइवर/कंडक्टर/ड्राइवरों और कंडक्टरों के हेल्पर/ढेला चलाने वाले व्यक्ति/रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति
- दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति/सहायक/छोटे प्रतिष्ठानों में चपरासी/हेल्पर/डिलीवरी असिस्टेंट/अटेंडेंट/वेटर
- इलेक्ट्रिशियन/मकैनिक/एसेम्बलर/रिपेयर वर्कर
- धोबी/चौकीदार

5.6 कार्यान्वयन एजेंसियां और पात्रता :

इस योजना के घटक को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। एनएचए यह सुनिश्चित करेगा कि एसएचए पात्र डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों की पहचान करने के लिए राज्य समाज कल्याण विभाग से सहायता ले और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) को पीएम-जेएवाई के लिए लाभार्थियों की सूची से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को कैशलेस द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल का लाभ प्रदान करने के लिए, केवल पात्र डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) के साथ मिलकर प्रत्येक परिवार

के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा और उसका प्रीमियम पूरी तरह से मुफ्त होगा।

5.7 वित्तपोषण का ढांचा और लागत संबंधी मानदंड :

डीडब्ल्यूबीडीएनसी की भूमिका एनएचए/एसएचए आदि के साथ सहयोग करके आयुष्मान कार्ड बनाने में केवल एक सुविधाकर्ता की है। कार्ड बनने के बाद, पात्र डीएनटी समुदायों की सभी देनदारियों को उसी तरह से संभाला जाएगा, जैसे किसी अन्य नागरिक के मामले में होता है, जो समय-समय पर संशोधित आयुष्मान भारत योजना के दिशानिर्देशों के तहत पात्र है।

5.8 समीक्षा और निगरानी :

क) डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से की जाएगी।

ख) डीडब्ल्यूबीडीएनसी समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा और उन बैठकों में एनएचएम योजना की प्रगति के बारे में प्रस्तुति पेश करेगा।

ग) डीडब्ल्यूबीडीएनसी, एनएचएम के साथ परामर्श करते हुए उपर्युक्त शर्तों में जहां कहीं वह आवश्यक समझेगा, कोई संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. आजीविका :

6.1 डीएनटी/एनटी/एसएनटी के लिए सशक्तिकरण और आजीविका संबंधी पहलों में सहायता:

डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के परम्परागत व्यवसायों में कमी आने की वजह से उनकी गरीबी और अधिक बड़ी है। इन समुदायों के लिए आजीविका का सृजन करना बहुत आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर जनसंख्या जिसमें विमुक्त, घुमन्तू जनजातियां और अर्ध-घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी, और एनटी/एसएनटी) शामिल हैं देश की सबसे अधिक गरीब जनसंख्या है। आधुनिक आजीविका जिसमें अधिक स्थापित जीवन शैली और संस्था निर्माण शामिल है, उससे इन समुदायों को भी लाभ मिलेगा और वे सरकारी स्कीमों का लाभ उठा पाएंगे और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, उनकी शिक्षा बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगी।

टिप्पणी: इस पैरा 6 में जहां भी शब्द एनआरएलएम/एसआरएलएम आया है, उसे प्रतिस्थापित कर एनआरएलएम/एसआरएलएम या अन्य सरकारी या गैर-सरकारी साझेदार एजेंसियां पढ़ा जाए।

6.2 उद्देश्य :

i. इस योजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत समर्थन, तकनीकी सहायता में निवेश के माध्यम से डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु महत्वपूर्ण आजीविका के क्षेत्रों में उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक पहल के रूप में सामुदायिक स्तर पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के सहयोग से संस्थागत निर्माण कार्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ii. डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय जिनकी संख्या बहुत कम है और जिनकी क्षमता और कौशल सीमित है, की सहायता से सामाजिक एकत्रीकरण के माध्यम से उन्हें सशक्त करके संस्थाओं का निर्माण करना और उन्हें सुदृढ़ करना।

6.3 कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत अभिसरण :

6.3.1 स्थानीय नेतृत्व, एसएचजी, सीबीओ की क्षमता में सुधार लाना और उनके संबंधों को मजबूत करना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसआरएलएम के माध्यम से एनआरएलएम सभी ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचने के लिए जमीनी स्तर के गरीब व्यक्तियों के लिए संस्थानों के माध्यम से संस्थाओं का निर्माण करेगा और उन्हें सतत आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों के अभिसरण पर बहुत अधिक जोर देगा।

6.3.2 सामाजिक एकत्रीकरण एक गहन प्रयास है जिसके लिए समर्पित और उपयुक्त मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर मानव संसाधनों की क्षमता के स्तर में सुधार लाने के लिए अभिमुखीकरण और क्षमता निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है जिससे जमीनी स्तर पर ग्रामीण समृद्धि के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। एनआरएलएम ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर संवेदी और समर्पित सहायता संरचनाएं स्थापित की हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को राज्य स्तर पर अपने राज्य मिशन प्रबंधन यूनिटों, जिला स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन यूनिटों, और ब्लॉक तथा/अथवा क्लस्टर स्तर पर उप-जिला यूनिटों में पर्याप्त मानव संसाधनों के साथ गठित किया गया है। ये सहायक संरचनाएं गरीब व्यक्तियों के सामाजिक एकत्रीकरण के लिए सुसज्जित, संवेदी और उपयुक्त हैं और इनका सरकार (सरकारों), जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) और पीआरआई के साथ घनिष्ट संबंध है।

6.4 कार्यान्वयन एजेंसियां और कार्यनीति :

6.4.1 इस घटक के अंतर्गत, समुदाय समूह सामाजिक एकत्रीकरण को शुरू करने, सीबीओ और एसएचजी को तैयार करने और समुदाय में इन जनजातियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विमुक्त, घुमन्तू जनजातियां और अर्ध-घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी, एनटी और एसएनटी) लक्षित जनसंख्या है।

6.4.2 योजना के घटक को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। एनएचए यह सुनिश्चित करेगा कि एसएचए पात्र डीएनटी, एनटी और एसएनटी समूहों की पहचान करने के लिए राज्य समाज कल्याण विभाग की सहायता ले।

6.4.3 इस विशेष पहल से डीएनटी के एसएचजी/सीबीओ, और एनटी/एसएनटी सामुदायिक समूहों और एनआरएलएम, एसएलआरएम और पीआरआई संस्थानों तथा राज्य से ब्लॉक स्तर तक इसकी अवसंरचनाओं के बीच प्रभावी रूप से अभिसरण होगा जिससे पीआरआई संस्थानों और सीबीओ तथा डीएनटी के एसएचजी, और एनटी/एसएनटी समूहों के बीच सहायता का आदान-प्रदान करने/विशेषज्ञ संसाधनों को शेयर करने के लिए नियमित रूप से संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। और इसके लिए एनआरएलएम और एसआरएलएम की भूमिका संस्थागत समर्थन को सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) मौजूदा कार्यक्रमों में गरीब व्यक्तियों को लक्षित करने तथा उन्हें शामिल करने के लिए कार्य नीतियों का अनुकरण करेंगे।

6.4.4 उपर्युक्त पैरे की पृष्ठभूमि के अनुसरण में, डीएनटी, और एनटी/एसएनटी सामुदायिक समूहों को सशक्त करने और उनकी आजीविका में सुधार लाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्य नीतियों का अनुकरण किया जाएगा :

- राज्य सरकारें डीएनटी, एनटी और एसएनटी के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका में सुधार लाने के कार्य में समग्र समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की पहचान करेंगी।
- इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा एक कार्य प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि एसआरएलएम द्वारा इस घटक को शुरू करने के लिए डीएनटी/एनटी/एसएनटी समूहों हेतु राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर कार्य कर सकें।
- इस संबंध में प्रख्यात सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थान जिसके पास क्षेत्र में विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी, एनटी) के सशक्तिकरण और उनकी

आजीविका में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से उत्कृष्ट अनुभव प्राप्त होगा, से सहायता ली जाएगी।

- **एसआरएलएम मुख्यत: निम्नलिखित मदों पर ध्यान केन्द्रित करेगा :**

क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विमुक्त और घुमन्तू समुदायों की विशिष्ट घनी आबादी वाले स्थलों/क्षेत्रों पर मुख्यत: ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

ख) जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित जिला प्रशासन के सहयोग से 25-45 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिबद्ध महिलाओं और पुरुषों की पहचान की जाएगी (जिनमें से 50% महिलाएं होंगी) जो "सामुदायिक संपर्क व्यक्ति" (सीसीपी) के रूप में संसाधन व्यक्ति सीसीपी के रूप में कार्य करेंगे, का दो स्तरों पर चयन किया जाएगा। विशिष्ट डीएनटी, एनटी और एसएनटी के सामुदायिक समूह स्तर से दो सीसीपी का चयन किया जाएगा। वे विशिष्ट डीएनटी, एनटी और एसएनटी सामुदायिक समूह स्तर पर मुख्यत: संपर्क बिन्दु होंगे। जिले में जिला स्तर पर दूसरे किस्म के लोग और अधिक योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी सीसीपी होंगे जहां वे जिले में पर्याप्त संख्या में डीएनटी, एनटी और एसएनटी समूह पाए जाते हैं। प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर 5 सीसीपी होंगे जो शिक्षित, सामुदायिक संस्था निर्माण में अनुभवी और समुदाय की सूचना को एकत्र करने, उसकी पुष्टि करने, इस समुदाय के सशक्तिकरण को विकसित करने तथा आजीविका प्रक्रिया में सुधार लाने में सहायता देने तथा कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम होंगे।

ग) एसएचजी में डीएनटी, एनटी और एसएनटी परिवारों की पहचान की जाएगी और उनका समूहीकरण किया जाएगा जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी तथा विभिन्न स्तरों पर एसएचजी परिसंघ (परिसंघों) के साथ संपर्क स्थापित किया जाएगा।

घ) विशिष्ट विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू एसएचजी संस्था का निर्माण करने और उसे सुदृढ़ करने तथा ऐसी संस्थाओं को दीर्घावधि के लिए निर्मित करने एवं उनकी अपनी कल्याण और विकास संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

ङ) विशेष रूप से पहचान किए गए डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय के कल्याण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, दौरे आयोजित करना और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। मास्टर शिल्पकारों और एसएचजी के सदस्यों को उनके व्यवसायों में परम्परागत कौशल सहित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा यदि वे चाहें तो उन्हें परम्परागत व्यवसायों से भिन्न दूसरे व्यवसायों में नियोजित किया जाएगा।

च) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्रामीण आजीविका मिशन डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों, एसएचजी/कोपरेटिव्स, और परम्परागत कार्यकलापों जैसे हथकरघा और हस्तशिल्प में नियोजित वर्गों को प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें नए कौशलों को हासिल करने तथा उनके मौजूदा कौशल का उन्नयन करने के लिए सहायता प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) और खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग (केबीआईसी) के साथ उन्हें जोड़ेगे।

छ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे भूमिहीन श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और अकेली महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। डीएनटी, एनटी और एसएनटी के पूर्व मौजूदा एसएचजी की समावेशन के लिए भी पहचान की जाएगी।

ज) प्राथमिक लाभार्थियों में छात्रों सहित 21-30 वर्ष के आयु समूह की अधिक से अधिक महिलाएं होंगी।

6.5 लागत संबंधी मानदंडों और अनुमत्य घटकों के साथ पहल:

क्र. सं.	घटक	लागत (अधिकतम सीमा) (रुपए में)
1.	सामुदायिक बैठकों का आयोजन (3 माह में कम से कम 2 बैठकें)	3000
2.	समुदाय के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कम्युनिटी आउटरीच एंट्री प्वाइंट एक्टिविटी (ईपीए)	50000
3.	विशिष्ट डीएनटी, एनटी/एसएनटी समुदाय समूह स्तर पर समुदाय संपर्क व्यक्ति सीसीपी-प्रत्येक समुदाय में 2 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय।	6000
4.	जिला स्तर पर समुदाय संपर्क व्यक्ति सीसीपी-प्रत्येक जिले में 5 व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय।	50000
5.	संस्थागत निर्माण के लिए संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम पंचायत के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करके समुदाय के एसएचजी/सीबीओ सदस्यों को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला।	20000
6.	एसएचजी परिक्रामी निधि: एसएचजी की सक्रिय स्थिति के आधार पर 25,000 रुपये प्रति एसएचजी की दर से एसएचजी को निधि प्रदान की जाती है।	25000
7.	एसएचजी की सक्रिय स्थिति और डीएवाई-एनआरएलएम योजना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन के आधार पर एसएचजी को सामुदायिक निवेश निधि @ 75,000 रुपये प्रति एसएचजी	75000
8.	पीआरए अभ्यास/सामुदायिक मूल्यांकन के लिए त्वरित सामुदायिक सर्वेक्षण (आरसीएस)	10000

9.	विशेष कौशल वाले युवाओं जैसे कारीगर/कलाकार के लिए कौशल विकास/क्षेत्र भ्रमण, प्रति डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टरों में अधिकतम 5 व्यक्ति, जिसमें समुदाय द्वारा निर्मित उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए उन्नत टूल किट शामिल हैं, जिसकी लागत प्रति लाभार्थी 10,000 रुपये है।	50000
10.	एसआरएलएम के लिए प्रति समुदाय संस्थागत व्यय, जिससे पारिश्रमिक, तकनीकी विशेषज्ञों के लिए टीए/डीए, परिवहन आदि सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए अपने व्यय को पूरा किया जा सके।	40000

6.5.1 की जाने वाली गतिविधियां:

क. सामुदायिक बैठकों का आयोजन:

i. स्थानीय शासन पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए संस्थागत मंच प्रदान करने हेतु डीएनटी, एनटी और एसएनटी समूहों के एसएचजी/सीबीओ का गठन;

ii. सामाजिक आर्थिक जरूरतों पर उनके मुद्दों को एकत्रित करना;

iii. पंचायतें डीएनटी, एनटी और एसएनटी, एसएचजी/सीबीओ के लिए क्या कर सकती हैं सीबीओ पंचायत जीपीडीपी का समर्थन कैसे कर सकते हैं, इस पर स्पष्टता लाने के लिए जीपी स्तर पर एसएचजी और पीआरआई के बीच अभिसरण और विकासशील संबंध के लिए कार्यनीति विकसित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने तथा उस पर बल देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना;

iv. आजीविका के पैटर्न और समुदाय में क्षमता की चर्चा के माध्यम से आजीविका गतिविधियों का चयन जैसे प्रमुख आजीविका क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें समुदाय के गरीब भाग लेकर लाभान्वित हो सकते हैं, बाधाओं, अवसरों, मूल्य श्रृंखलाओं को समझ सकते हैं और आवश्यक प्रमुख हस्तक्षेपों का निर्धारण कर सकते हैं;

v. स्थानीय सरकारी संस्थाओं जैसे जीपी, जेएफएम, और डीएनटी, एनटी और एसएनटी समूहों के एसएचजी/सीबीओ के कार्यक्रमों के लिए अभिसरण पर चर्चा करना;

vi. पंचायतों और डीएनटी, एनटी तथा एसएनटीएस की संस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी कार्य संबंध बनाने वाले तंत्र को सुगम बनाना।

vii. सरकार द्वारा प्रायोजित समाज सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के लिए डीएनटी, एनटी और एसएनटी की पहुंच तथा पात्रता में सुधार के लिए गांवों में और उसके आसपास डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टरों / बस्तियों के समावेशन हेतु सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का सुग्राहीकरण।

ख. समुदाय के साथ संबंध बनाने के लिए सामुदायिक आउटरीच एंट्री पॉइंट गतिविधि (ईपीए):

संस्था को मजबूत करने के दौरान, समुदाय एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज (ईपीए) की पहचान करेगा, जिसका निर्णय संयुक्त रूप से लिया जाएगा। इसे परियोजना अवधि के दौरान विशेष रूप से भूमिहीन, सामान्य लाभ हेतु सार्वजनिक कार्य जैसे पेयजल, लघु सिंचाई, चेक डैम के लिए मजबूत सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उठाया जाएगा। गतिविधि/गतिविधियों का निर्णय समुदाय की सामान्य बैठक में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। विशेष रूप इसका उद्देश्य सहभागी समुदाय की बैठक- जैसे शराब पीना पानी, लघु सिंचाई, चेक डैम, मजबूत संपत्ति का निर्माण, बेहतर आजीविका का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं के उन्नत जीवन यापन के समर्थन, पेयजल, लघु सिंचाई, चेक डैम के लिए मजबूत परिसंपत्तियों के सृजन जैसे सामान्य लाभों को भागीदार सामुदायिक बैठक में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय के लिए समुदाय की तत्काल आवश्यकता के समर्थन हेतु सार्वजनिक कार्यों के द्वारा सामुदायिक संस्था की संबंध और उत्प्रेरणा का सृजन करना इसका लक्ष्य है।

ग. सीसीपी का चयन:

घुमंतू, गरीब और कम शिक्षित होने के कारण, डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय ज्यादातर अपने अधिकारों और पात्रताओं से अनजान हैं और उन पर दावा करने की स्थिति में नहीं हैं। अत: पुरूषों और महिलाओं दोनों में 25-45 वर्ष के आयु वर्ग में विशिष्ट डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर स्तर पर जिन्हें 'सामुदायिक संपर्क व्यक्ति' (सीसीपी) के रूप में नामित किया गया है, जो अपने समुदायों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और समस्याओं, उनके अधिकारों और पात्रताओं तथा केंद्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं, में से डीएनटी, एनटी और एसएनटी के स्मार्ट और प्रतिबद्ध सदस्यों की पहचान करना आवश्यक है। विशेष रूप से चयनित डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर स्तर पर घटक कार्यान्वयन में मदद करने के लिए उन्हें सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के रूप में विकसित और नियुक्त करने पर बल दिया जाएगा।

दूसरे प्रकार का अधिक योग्य और अनुभवी सीसीपी उस जिले में जिला स्तर का होगा जहां कई डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर पाए जाते हैं।प्रत्येक जिले में दो जिला स्तरीय सीसीपी का चयन किया जाएगा। विशेष रूप से एसएचजी के क्षमता निर्माण और उनके संघों और अन्य समूहों को जोड़ने के लिए उन्हें सामुदायिक पेशेवरों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के रूप में विकसित करने और संलग्न करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर स्तर पर दो सीसीपी विशिष्ट डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर के एक सक्रिय सदस्य होंगे, जिन्हें औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनमें विशेष रूप से चयनित डीएनटी, एनटी और एसएनटी क्लस्टर स्तर पर घटक कार्यान्वयन में मदद करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति होने की क्षमता है।सीसीपी का चयन एसआरएलएम द्वारा समुदाय के पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों के परामर्श से किया जाएगा। क्लस्टर स्तर के सीसीपी को 3000/- रुपये प्रतिमाह के निश्चित समेकित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

क) जिला स्तरीय सीसीपी की भूमिका:

i. भाग लेने वाली विभिन्न एजेंसियों से संवाद तथा समन्वय।
ii. अभिलेख तथा समुदाय से संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रति तैयार करना तथा बनाए रखना।
iii. समुदाय कल्याण और आजीविका गतिविधियों की तैयारी और कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करना।
iv. समुदाय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में सहायता करना।

ख) जिला स्तरीय सीसीपी के लिए पात्रता मानदंड:

i. सीसीपी' डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय से होना चाहिए (50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए)।
ii. आयु: 25 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए।
iii. योग्यता: कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए और सामुदायिक संस्था निर्माण, लेखा / संचार कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

ग) चयन प्रक्रिया

i. सीसीपी एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर होगा। इसे आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
ii. इन सीसीपी के चयन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला स्तर पर प्रतिष्ठित डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदाय के 2 प्रतिनिधि और जिला कलेक्टर की भागीदारी के साथ एसआरएलएम द्वारा किया जाएगा।

घ) पारिश्रमिक

i. जिला स्तरीय सीसीपी को 10000/- रुपये प्रति माह के निश्चित समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
ii. उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

ड.) नियुक्ति के लिए अन्य शर्तें

i. सप्ताह में 6 दिन पूरे समय काम करना होगा।
ii. एक वर्ष में 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होंगे लेकिन एक महीने में 1 से अधिक नहीं।
iii. एक माह का नोटिस देकर संविदा समाप्त किया जा सकता है।
iv. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर होगी।
v. स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण लेना होगा।

घ. ग्राम पंचायत के प्रमुख चयनित समुदाय के व्यक्तियों / प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करते हुए एसएचजी / सीबीओ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला:

सरकार की विभिन्न विकासात्मक स्कीमों और स्वयं सहायता तथा सहयोग के प्रोत्साहन तक पहुंच के मामलों को समझने के लिए समूहों को एकत्रित करने हेतु और एक समान प्लेटफॉर्म पर एकत्र होने के लिए समूहों को तैयार करने हेतु क्षमता निर्माण के लिए संगठनात्मक क्षमता अंत:क्षेप को मजबूत करना।

- महिलाओं और युवाओं पर ध्यान देते हुए समूह निर्माण, सामूहिक सौदेबाजी कौशल, संघर्ष प्रबंधन, उद्‍यमिता, लेखा/वित्तीय कौशल, ऋण आदि की सुविधा।
- सरकारी स्कीमों में वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड आदि की मांग और काम तथा समय पर भुगतान की मांग में आने वाली समस्याओं के समाधान को समझना।
- मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना की वार्षिक योजना प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ज्ञान का आधार बढ़ाना;
- मनरेगा योजना के तहत डीएनटी, एनटी समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हर साल 100 दिनों के सवेतन कार्य के भुगतान की गारंटी का समर्थन ।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सीबीओ के लिए प्रशिक्षण इन पर आधारित हो सकता है:

1. एसएचजी, ग्राम संगठनों (वीओ) और ब्लॉक स्तरीय संघों (बीएलएफ) की अवधारणाएं,
2. समूह प्रक्रियाएं और प्रबंधन,
3. नियमित बैठकें

4. नियमित बचत
5. आंतरिक उधार
6. ऋणों की नियमित चुकौती
7. बहीखाता
8. अच्छा स्वास्थ्य
9. प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षकों के रूप में सक्रिय महिलाओं की पहचान
10. निधि प्रबंधन और बहीखाता पद्धति सहित सूक्ष्म वित्त संचालन,
11. ऋण प्राथमिकता स्कीम,
12. पंचायती राज संस्थाओं में संघर्ष समाधान और नियमित भागीदारी
13. सामाजिक मुद्दे
14. सरकारी स्कीमों के माध्यम से पात्रता तक पहुंच

ङ. डीएनटी/एनटी एसएचजी और सीबीओ का गठन:

गरीबों की संस्थाओं के माध्यम से उनके एकत्रीकरण से व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लेन-देन की लागत कम हो जाती है, जो उनकी आजीविका को अधिक व्यवहार्य बनाता है। डीएनटी, एनटी के मजबूत संस्थान जैसे कि एसएचजी, उनके सामुदायिक स्तर और उच्च स्तरीय संघ, सरकारी कल्याण और विकास कार्यक्रमों में उन्हें स्थान, आवाज और संसाधन प्रदान करने और बाहरी एजेंसियों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक हैं। उन्हें सशक्त बना कर ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार, उत्पादन, सामूहिकता और वाणिज्य के केंद्रों के रूप में कार्य करना चाहिए। इसलिए, यह गतिविधि प्रारंभ में इन संस्थानों को सामुदायिक स्तर पर स्थापित करने पर केंद्रित होगी।

समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ): सीबीओ केंद्रीय और अभिन्न अंग होगा। इसके लिए सामुदायिक स्थानों, बस्तियों, ढाणियों, टेंट कॉलोनी या समुदाय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जाना जाता है, किसी भी स्थानीय नाम से प्रत्येक डीएनटी/एनटी समुदाय आधारित संगठन के गठन के लिए केंद्रित प्रयास किया जाएगा, जिसमें किसी विशेष डीएनटी/एनटी के समूह का निवास स्थान हो। सीबीओ की मदद से जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड की स्थिति के साथ समुदाय के मूल आँकड़ों को जहां तक संभव हो, तैयार किया जाएगा।

सीबीओ की आम सभा में महिला और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। ये सभी संस्थाएं समावेशी होंगी और किसी भी वयस्क सदस्य को पीछे नहीं छोड़ा

जाएगा। सीबीओ के गठन और कार्यकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम भी शामिल होंगे:

- शुरुआत में समुदाय और गांव में राय बनाने वालों से मिलें
- स्थान या गतिविधि के आधार पर हितधारकों की पहचान करें।
- बस्ती-वार छोटी सामूहिक चर्चा करें और सीबीओ के गठन पर सहमत हों।
- सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण ।
- ग्रामीण आजीविका में सुधार और ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने पर चर्चा।
- ग्रामीण गरीबों और उत्पादकों के संगठनों का विकास करना ताकि वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों से सेवाओं, ऋण और परिसंपत्तियों तक पहुंच और बेहतर संपर्क कर सकें।
- समुदाय के सभी वयस्क सदस्य सीबीओ की गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यकारी समिति के चयन पर सहमत होते हैं।
- कार्यकारी समिति में 4 पदाधिकारी होंगे: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सदस्य सचिव। कम से कम एक महिला का चुनाव करना अनिवार्य है।

एसएचजी: इस गतिविधि से विशेष संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), आजीविका संवर्धन के लिए उत्पादकों के समूहों, आगे-पीछे के संबंधों, तथा सूचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि तक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के मौजूदा संस्थान गठित हैं। यह योजना गतिविधि डीएनटी, एनटी, एसएचजी संस्थानों के गठन और पोषण की प्रक्रियाओं का समर्थन करेगी और संबंधित मौजूदा संस्थानों के साथ संबंध विकसित करने का प्रयास करेगी। डीएनटी और एनटी के स्वयं सहायता को बढ़ावा देने वाले संस्थानों का समर्थन किया जाएगा।

यह गतिविधि सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक चिन्हित डीएनटी, एनटी परिवार से कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः एक महिला, को आजीविका के मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के तहत लाया जाए। एसएचजी के गठन के लिए, समूह निर्माण और विकास के प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रु. प्रति एसएचजी को दिया जाएगा।

एसआरएलएम समुदाय प्रोफेशनल और समुदाय संसाधन व्यक्ति की भूमिका :

एनआरएलएम कार्यक्रम ने सामुदायिक पेशेवरों का एक कैडर बनाया है, जो सामुदायिक संस्थानों और उनके संघों के निर्माण के लिए एक बहुत ही गहन समुदाय उन्मुख, जैविक विकास प्रक्रिया का पालन करता है। सामुदायिक पेशेवरों के ये संवर्ग सामुदायिक संस्थानों के गठन और पोषण और इन संस्थानों को एक सार्थक कारण के लिए प्रबंधन और नेतृत्व करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये अपने गांवों में बाधाओं और अवसरों की पहचान करने के लिए अनुकूल हैं, और विश्वास पैदा करने और अपने समुदायों को संगठित करने में बहुत अधिक प्रभावी हैं। वे अपने समुदायों के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं क्योंकि वे वहां रहते हैं और स्थानीय वैधता और विश्वास का आनंद लेते हैं। एसआरएलएम के तहत पूरी तरह से स्थानीय संस्थानों के प्रति जवाबदेह सामुदायिक पेशेवरों के संवर्ग का एक नेटवर्क व्यापक रूप से स्थापित किया गया है।

इन पेशेवरों की सेवाएं डीएनटी/एनटी समूहों के लिए सीबीओ और एसएचजी के गठन की जिम्मेदारी संभालने के लिए ली जाएंगी। निम्नलिखित दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सुविधा के लिए ये संवर्ग बहुत महत्वपूर्ण हैं:

- डीएनटी, एनटी के कार्यात्मक एसएचजी के एक बार स्थापित हो जाने के बाद, सुविधा टीम एसएचजी सदस्यों और नेटवर्क को तकनीकी सहायता प्रदान करने और संसाधन एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करने और एसआरएलएम द्वारा स्थापित क्षेत्र में एसएचजी के मौजूदा ग्राम स्तर के प्राथमिक संघ से जोड़ने गरीब डीएनटी और एनटी परिवारों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगी।
- इसका उद्देश्य डीएनटी/एनटी एसएचजी को क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन (सीएलएफ) और ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन से जोड़ना होना चाहिए, ताकि डीएनटी/एनटी एसएचजी और उनके फेडरेशन की मांगों को पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक योजनाओं में प्राथमिकता दी जा सके, इसके लिए उपयुक्त वित्तीय आवंटन किया जा सके, प्राकृतिक संसाधनों जैसे तालाबों/टैंकों, बाजार प्रांगणों को पट्टे पर दिया जा सके, ग्राम सभा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा जैसे मुद्दों पर सूचना और जागरूकता पैदा की जा सके, जनजातीय, सामाजिक बुराइयों और श्रम संबंधी मुद्दों को उठाया जा सके और कमजोर तथा निराश्रितों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

च. पीआरए अभ्यास//रैपिड समुदाय सर्वे (आरसीएस)- समुदाय का विस्तृत सहभागी समुदाय मूल्यांकन:

पीआरए के माध्यम से एक संबंध बनाने वाला संबंध जिसमें समुदाय के साथ और समुदाय के भीतर एक आम समझ तक पहुंचा जा सकता है। इसका उद्देश्य समुदाय और उनके पर्यावरण के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रभावी दृष्टिकोण भी होगा।

डीएनटी और एनटी समुदाय के विशिष्ट सामुदायिक स्तर के जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्राथमिक आँकड़े उनके बारे में प्रलेखित जानकारी में अंतराल को भरेंगे। यह स्थान विशिष्ट समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा और स्थानीय समुदाय के लोगों की प्राथमिकताओं का दस्तावेजीकरण करेगा। इसमें सामुदायिक क्षेत्र में संचालित की जाने वाली गतिविधियों की सूची के अलावा समुदाय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के साथ-साथ उनके व्यवहार्य समाधान, संसाधनों की आवश्यकता और क्षमता का आँकलन शामिल होगा।

रैपिड समुदाय सर्वे सहभागी होगा जिसमें स्थानीय समुदाय के सदस्य विभिन्न पहलुओं पर आँकड़े और जानकारी निकालने और एकत्र करने के साथ-साथ समुदाय की वास्तविक स्थिति या स्थिति को समझने के लिए शामिल होंगे। इसे समूह चर्चा, अनुभव का साझा करने के जरिए पूरा किया जाएगा।

छ. मूल्यवर्धन के लिए प्रशिक्षण/उपकरण किट वितरण सहित कौशल विकास/क्षेत्र प्रदर्शन दौरा:

यह गतिविधि लक्षित डीएनटी, एनटी, एसएनटी व्यक्तियों के निरंतर क्षमता निर्माण का हिस्सा होगी और उन्हें होनहार युवाओं को कौशल, उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु की जाएगी जिसमें प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल और इनपुट, बाजार लिंकेज आदि शामिल हैं। इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण, फ्रंटलाइन प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश की जाएगी। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हो सकते हैं:

- **ज्ञान बढ़ाना** - स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के बारे में जानकारी के साथ-साथ सामाजिक बहिष्कार पर प्रशिक्षण भी शामिल है।
- **प्रशासनिक क्षमता में सुधार** - वित्तीय प्रबंधन, रिपोर्टिंग, सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण सहित ,संचार, नेतृत्व प्रशिक्षण।
- **केंद्रित आजीविका विकास मॉडल: केंद्रित आजीविका विकास मॉडल के लिए** अभिनव प्रौद्योगिकी और कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से

स्थान विशिष्ट डीएनटी, एनटी, एसएनटी समूह को उनके निहित कौशल पर ध्यान केंद्रित करने और उनके जीवन जीने के तरीके को विकसित करने में सक्षम बनाना है। इनमें डीएनटी, एनटी, एसएनटी **समूह पृष्ठभूमि जैसे मत्स्य पालन, लघु वन उत्पाद, कारीगर कार्य, डेयरी और** संगठित करना, उन्हें मूल्य श्रृंखला और बाजारों में लाभदायक तरीके से शामिल करना और एकीकृत करना शामिल होगा।

- एक्सपोज़र विज़िट जो सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए सप्ताह भर के एक्सपोज़र विज़िट करने की अनुमति देती हैं और स्थानीय नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने के अवसर देती हैं ताकि वे पहली बार समझ सकें कि वे क्या खोज रहे हैं।

6.6 वित्त पोषण पद्धति और लागत मानदंड:

डीडब्ल्यूबीडीएनसी एनआरएलएम या किसी अन्य सरकारी या गैर-सरकारी कार्यान्वयन एजेंसी को एसआरएलएम/कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से योजना घटक के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषित करेगी, ताकि पहचान किए गए डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदायों के सशक्तीकरण और आजीविका में सुधार किया जा सके और उनके एसएचजी और सीबीओ को 5 वर्षों तक समर्थन दिया जा सके।

इस योजना के आजीविका घटक के अंतर्गत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों को उनकी आजीविका गतिविधियों को जारी रखने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निगमों (जैसे एनबीसीएफडीसी, एनएसएफडीसी) और उनके चैनल भागीदारों तथा केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले अन्य वित्त निगमों से ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी।

6.7 समीक्षा और निगरानी

क) संबंधित एसआरएलएम और राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों से आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

ख) डीडब्ल्यूबीडीएनसी समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा, जिसके दौरान एसआरएलएम को प्रगति पर प्रस्तुतीकरण देना होगा।

ग) डीडब्ल्यूबीडीएनसी एनआरएलएम/एसआरएलएम या केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों या कार्यान्वयन एजेंसियों (उचित प्रक्रिया के बाद नियुक्त) के परामर्श से पैरा 6 (सीड के आजीविका घटक) की किसी भी पूर्वोक्त शर्त में कोई

भी संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि अपनाए गए संशोधनों का केन्द्र सरकार की किसी अन्य समान ग्रामीण आजीविका योजना में पालन किया जाए और उस संशोधन को अपनाने से इस घटक के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में सुविधा होगी।

7. **डीएनटी के लिए आवास**

परिचय:

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। वर्तमान में, डीएनटी/एनटी समुदायों से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में परिवार स्थायी आश्रयों और आवासों के बिना हैं। अपने बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, बड़ी संख्या में डीएनटी समुदाय खुद को एक स्थान या दूसरे स्थान पर बसने और वैकल्पिक व्यवसायों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखा गया है कि डीएनटी पूरे देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। वे या तो खुले, छोटे और अस्थाई तंबू में या छोटी झोंपड़ियों या तात्कालिक पक्के या कच्चे घरों में रहते हैं। उनकी बस्तियाँ वस्तुतः मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़कें और सार्वजनिक शौचालय आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की कोई सुविधा नहीं है। समय की माँग यह है कि स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि ऐसी बस्तियों की स्थिति में तत्काल सुधार हो ताकि डीएनटी कम से कम बुनियादी नागरिक सुविधाओं का आनंद ले सकें या बसने के बेहतर स्थानों पर स्थानांतरित हो सकें।

भूमि आवंटन, आवास निर्माण, मलिन बस्तियों के विकास और शहरी क्षेत्रों के उत्थान के लिए बहुत सी मुख्यधारा की स्कीमें/कार्यक्रम हैं, लेकिन डीएनटी/एनटी समुदायों के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर उनका उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि एससी और एसटी के लिए किया गया है, भूमि अधिग्रहण और लेआउट के रूप में विकसित की जानी है और डीएनटी / एनटी समुदायों के सदस्यों को मुफ्त में आवास के लिए दी गई है।

किसी भी जिले में शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर, पीएमएवाई-ग्रामीण और पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी मकानों का एक निश्चित प्रतिशत क्रमशः डीएनटी/एनटी समुदायों के सदस्यों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2022 तक विशेष रूप से समाज के लाभवंचित वर्गों के लिए “सभी के लिए आवास” योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गरीबों

को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। जबकि डीएनटी को भी इस योजना के तहत पात्रता मानदंड के तहत कवर किया गया है, लेकिन उनकी कम प्राथमिकता के कारण, यह अनुमान है कि डीएनटी श्रेणी के तहत लाभार्थियों की संख्या नगण्य है।

डीएनटी के लिए मकानों की कमी को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के साथ समन्वय करेगा, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले डीएनटी को मकान उपलब्ध कराए जा सकें, जिन्होंने अभी तक पीएमएवाई-जी या पीएमएवाई-यू के तहत कोई लाभ नहीं लिया है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तथा उक्त योजनाओं के तहत शर्तों को पूरा कर रहे हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/डीडब्ल्यूबीडीएनसी ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ-साथ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समन्वय करेगा, ताकि उन बेघर डीएनटी व्यक्तियों/परिवारों को आवास इकाइयां (अनुमेय बुनियादी सुविधाओं, खाना पकाने की जगह आदि के साथ) प्रदान की जा सकें, जो क्रमशः पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-यू की शर्तों को पूरा करते हैं और दोनों मंत्रालयों के लाभार्थियों के चयन और पहचान के लिए दिशानिर्देशों के तहत पात्र पाए जाते हैं। पात्रता, इकाई सहायता की राशि, आवास सहायता के लिए भूमि क्षेत्र आदि के लिए दिशानिर्देश वही होंगे जो उक्त दोनों योजनाओं में लागू हैं तथा समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे।

चूंकि दोनों मंत्रालयों की उपरोक्त योजनाओं के तहत ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में घर के निर्माण के लिए पहली शर्त भूमि की उपलब्धता है, इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/डीडब्ल्यूबीडीएनसी बेघर डीएनटी परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से भूमि के आवंटन का प्रयास भी करेगा। सभी शर्तें, जैसे गैर हस्तांतरणीयता, पुरुषों और महिलाओं द्वारा संयुक्त पट्टा, आदि, जो ऐसी आवंटित भूमि से जुड़ी हैं, और जैसा कि अन्य केंद्रीय सरकार की भूमि और आवास योजनाओं में लागू है, वे डीएनटी परिवारों पर भी लागू होंगी, जो किसी भी सरकारी प्राधिकरण से भूमि (आवास के लिए) प्राप्त करते हैं।

7.2 पात्रता मापदंड

ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में डीएनटी विशिष्ट आवास सहायता के लिए पात्रता मानदंड वही होंगे जो समय-समय पर संशोधित संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों की

ग्रामीण/शहरी बेघरों के लिए ग्रामीण आवास या शहरी आवास योजनाओं के तहत निर्धारित किए गए हैं।

7.3 कार्यान्वयन एजेंसियां

यह योजना राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा ग्रामीण एवं शहरी आवास से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी।

7.4 वित्त पोषण पद्धति

डीडब्ल्यूबीडीनसी, आवासहीन व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की चल रही योजनायो के अंतर्गत, पात्र और बेघर डीनटी परिवारों को आवास उपलब्ध करने मे सहायता करेगी।

8. सामान्य सिद्धांत:

8.1 योजना का क्रियान्वयन बोर्ड करेगा। हालांकि, बोर्ड इस योजना के तहत किसी भी रिलीज के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रोग्राम डिवीजन के माध्यम से आईएफडी की सहमति प्राप्त करेगा।

8.2 योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाएगी जो लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

8.3 जहां कहीं भी इस योजना के तहत अग्रिम देने की आवश्यकता होगी, इसे किश्तों में जारी किया जाएगा। तथापि, यदि यह प्रतिपूर्ति के आधार पर है, तो नियमों के तहत निर्धारित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप पूरी राशि जारी की जाएगी।

8.4 "लास्ट माइल" तक फंड की पूरी ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए, सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन ईएटी / आरईएटी मॉड्यूल सुनिश्चित करने के लिए पीएफएमएस पोर्टल का उपयोग करेंगे। धन का वितरण आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा।

8.5 सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों को जीएफआर 2017 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, जीएफआर 2017 के नियम 230 (8) के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्त संस्था को जारी किए गए अनुदान या अग्रिम के विरुद्ध प्राप्त सभी ब्याज या अन्य आय को खातों को फाइनल करने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए।

8.6 उपरोक्त सीड योजना के कार्यान्वयन के अलावा, डीडब्ल्यूबीडीएनसी डीएनटी समुदायों को सरकारी या गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सभी मौजूदा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, जहां वे पहले से ही पात्र हैं।

8.7 इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड में एक अलग परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) स्थापित की जाएगी।

8.8 डीडब्ल्यूबीडीएनसी समय-समय पर इस योजना के साथ-साथ अन्य सभी केन्द्रीय योजनाओं, जिनके लिए डीएनटी पात्र हैं, के लिए डीएनटी आबादी के बीच व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों की भी मदद लेगा।

8.9 योजना कार्यान्वयन में आईटी प्रणालियों का लाभ उठाया जाएगा।

*****